

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 74/2021(GCMS : 2021/198)

ICICI BANK Ltd. having its Registered office at ICICI BANK tower, Near Chalki Circle, Old Padra Road, Vadodra-390007 Corporate office at ICICI bank Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra(E) Mumbai-400051 its Branch office at ICICI Bank Ltd. sotck Exchange Building, Malviya Nagar, Jaipur-302017


बनाम

1. मैसर्स आहुजा एंटरप्राइजेज प्रो. श्री प्रदीप कुमार आहुजा पिता श्री कृष्ण लाल (अ) दुकान नं. 103, नई धान मण्डी, पदमपुर श्रीगंगानगर(राज.) (ब) दुकान नं. 65, मुरब्बा नं. 90, पदमपुर श्रीगंगानगर (राज.) (स) प्लॉट नं. 1345, इन्द्रा कॉलोनी, मण्डी पदमपुर श्रीगंगानगर (राज.)
2. श्री प्रदीप कुमार आहुजा पिता श्री कृष्ण लाल (अ) दुकान नं. 103, नई धान मण्डी, पदमपुर श्रीगंगानगर(राज.) (ब) दुकान नं. 65, मुरब्बा नं. 90, पदमपुर श्रीगंगानगर (राज.) (स) प्लॉट नं. 1345, इन्द्रा कॉलोनी, मण्डी पदमपुर श्रीगंगानगर (राज.)
3. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री प्रदीप कुमार आहुजा (अ) प्लॉट नं. 1345, इन्द्रा कॉलोनी, मण्डी पदमपुर श्रीगंगानगर (राज.) (ब) दुकान नं. 65, मुरब्बा नं. 90, पदमपुर श्रीगंगानगर (राज.)
4. श्रीमती कैलाश रानी(अ) प्लॉट नं. 64 एवं 65 मुरब्बा नं. 90 पदमपुर श्रीगंगानगर (राज.) (ब) दुकान नं. 65, मुरब्बा नं. 90, पदमपुर श्रीगंगानगर (राज.) (स) प्लॉट नं. 1345, इन्द्रा कॉलोनी, मण्डी पदमपुर श्रीगंगानगर (राज.)



23.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता अनिल सोनी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 16.11.2021 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स आहुजा एंटरप्राइजेज, प्रदीप कुमार आहुजा, कान्ता देवी एवं कैलाश रानी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 84.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये चौरासी लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कान्ता देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति भूमि और निर्माण आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 1345 (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर), इन्द्रा कॉलोनी, मण्डी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को प्रार्थी की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।


जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स आहुजा एंटरप्राइजेज, प्रदीप कुमार आहुजा, कान्ता देवी एवं कैलाश रानी को खाता 84.00/-लाख रुपये (अखरे रुपये चौरासी लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 08.02.2013 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कान्ता देवी ने अपनी अचल सम्पत्ति भूमि और निर्माण आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 1345 (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर), इन्द्रा कॉलोनी, मण्डी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.06.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.08.2019 को जारी कर दिनांक 03.09.2019 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी कान्ता देवी की अचल सम्पत्ति भूमि और निर्माण आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 1345 (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर), इन्द्रा कॉलोनी, मण्डी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित

प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.08.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 28.08.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण दिनांक 03.09.2019 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी कान्ता देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी कान्ता देवी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति भूमि और निर्माण आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 1345 (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर), इन्द्रा कॉलोनी, मण्डी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर